

न्यायालय सिविल जज, (सी0डि0), सहारनपुर।

प्रकीर्ण केवियट वाद संख्या 209 / 2022 (CNR NO. UPSP05-002187-2022)

सतीश शर्मा

बनाम

मनीष शर्मा

16.01.2023

केवियट पत्रावली प्रस्तुत हुई। इस केवियट पत्रावली पर सम्बन्धित लिपिक द्वारा आदेशपत्र पर इस आशय की आख्या दी गयी है कि इस केवियट से सम्बन्धित मूलवाद दाखिल नहीं हुआ है तथा केवियट की अवधि 90 दिन पूर्ण हो चुकी है। नियमानुसार दाखिल दफतर किया जा सकता है।

पत्रावली पर उपलब्ध सम्बन्धित लिपिक की आख्या का अवलोकन किया। सम्बन्धित लिपिक की आख्या के अनुसार इस केवियट से सम्बन्धित कोई मूलवाद न्यायालय में दर्ज होना नहीं पाया जाता है तथा केवियट की अवधि भी 90 दिन पूर्ण हो चुकी है। अतः केवियट वाद की कार्यवाही आगे चलाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। केवियट वाद निरस्त किये जाने योग्य है। अतः केवियट वाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली सुपुर्द अभिलेखागार की जाये।

सिविल जज, (सी0डि0),
सहारनपुर।